



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

नं. 325]
No. 325]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 8, 1989/ज्येष्ठ 18, 1911
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 8, 1989/JYAISTHA 18, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a
separate compilation

जल भूतल मंत्रालय
(परिवहन पत्र)

नई दिल्ली, 8 जून, 1989

प्रविष्टिपत्र

का. धा. 414 (अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर
यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66
की उपधारा (3) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का
प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के पोत परिवहन
और परिवहन मंत्रालय की प्रविष्टिपत्र का. धा. 1502 तारीख
15 मई, 1973 की अधिकांत करते हुए, यह निर्दिष्ट
करता है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबंध
किसी ऐसे परिवहन यान को जो मोटर यान का नि-
र्माण करने वाले या उनमें व्यवहार करने वाले
या चालक से संलग्न किए जाने के लिए उनको बांधी
बनाने वाले किसी व्यक्ति द्वारा केवल विज्ञापन

प्रदर्शन, सड़क परीक्षण, जल परीक्षण, परीक्षण स्वयं
या निर्मात के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया
जाता है, इन शर्तों के अधीन रहते हुए लागू नहीं
होंगे कि परिवहन यान का चालक

(क) विनिर्माता या व्यवहारी से ऐसा पत्र लेगा
जिसमें वह प्रयोग जिसके लिए
यान का उपयोग किया जाता है और वह स्थान
जिसमें वह जा रहा है, उल्लेखित हो।

(ख) केन्द्रीय मोटरयान नियम, 1989 के अध्याय 3
के अधीन जारी किया गया व्यवसाय प्रमाण
पत्र लेगा, और

(ग) ऑजार और उपकरणों से जिस कोई माल अथवा
चालक एक मकेतिक, एक इंजीनियर और
दो परिचरों से जिस किसी यात्री को नहीं ले
जाएगा और प्रत्येक ऐसा चालक, मकेतिक

इंजीनियर या परिवार अपने साथ पहचान पत्र अथवा विनिर्माता या व्यवहार के द्वारा जारी किया गया पहचान पत्र रखेगा।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 1989 के पहले दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर. डी. 11014/3/89—टीएजी]

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Transport Wing)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th June, 1989

S.O. 414(E).—In exercise of the powers conferred by clause (g) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 1502 dated the 15th May, 1973, the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (i) of the said section shall not apply to any transport vehicle used by a person who manufactures or deals in any motor vehicle or builds bodies for attachment to chassis solely for the purposes of advertisement, demonstration, road test, endurance test, test ground or export subject to the conditions that the driver of the transport vehicle shall:

- carry a letter from the manufacturer or dealer indicating the purpose for which the vehicle is being used and the place to which it is proceeding;
- carry the trade certificate issued under Chapter III of the Central Motor Vehicles Rules, 1989; and
- not carry any goods other than the tools and accessories or any passengers other than the driver, one mechanic, one engineer and two attendants and every such driver, mechanic, engineer or attendant shall carry identity cards or letter of identity issued by the manufacturer or the dealer.

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[F. No. RT-11014/3/89-TAG]

फा. सं. 415(अ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर वाहन अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 88 की उप-धारा (11) के खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के नौवहन और परिवहन मंत्रालय की तारीख 11 जून, 1973 की अधिसूचना फा. सं. 1771 को अधिक्रान्त करते हुए, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए निम्नलिखित अर्हताएं और शर्तें विनिर्दिष्ट करती है, अर्थात्:—

अर्हताएं—पर्यटन वाहन के ड्राइवर के पास निम्नलिखित अर्हताएं होंगी, अर्थात्:—

- कम से कम दो वर्ष के अनुभव सहित ड्राइवर की अनुज्ञप्ति;
- उक्त पर्यटन वाहन की रचना और उसके रख-रखाव का प्रारम्भिक ज्ञान जिसे वह जानता है;

(ग) जिस मार्ग या क्षेत्र या प्रदेश में पर्यटन वाहन के उपयोग किए जाने का प्रस्ताव है उसकी स्थलाकृति का ज्ञान;

(घ) अंग्रेजी और हिन्दी या प्रदेश की किसी भाषा का कार्य साधक ज्ञान जहां वह कार्य करता है।

टिप्पण—जहां ड्राइवर के साथ ऐसा कंडक्टर है जिसके पास उक्त अर्हताएं हैं, अर्हता (घ) लागू नहीं होगी।

शर्तें: पर्यटन वाहन का ड्राइवर निम्न शर्तों का पालन करेगा, अर्थात्:—

(क) गर्मी के महीने में वह निम्न प्रकार कोपटोर बंद पहनेगा, अर्थात्:—

(i) डोलो पेंट

(ii) बुलडॉग या कोट जिसमें 2 जेब होंगे और कमोज या कोट के बाएं हाथ वाले जेब पर लाल धागे से "T" शब्द लिखा हुआ होगा;

(ख) सर्दी के महीने में वह निम्नलिखित प्रकार को नौलो या दूसरे रंग की बर्तें पहनेगा, अर्थात्:—

(i) डोलो पेंट

(ii) बटन लगा हुआ कोट जिसमें दो जेब होंगे और बाएं हाथ वाले जेब पर लाल धागे से "T" शब्द लिखा हुआ होगा या बुलडॉग या कोट जिसमें दो जेब होंगे और बाएं हाथ वाले जेब पर लाल धागे से "T" शब्द लिखा हुआ होगा या सतही वाली सफेद कमोज पहनाई होगी।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 1989 के पहले दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. आर. डी. 11014/3/89—टीएजी]

S.O. 415(E).—In exercise of the powers conferred by clause (ii) of sub-section (11) of Section 88 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S. O. 1771, dated the 11th June, 1973, the Central Government hereby specifies for the purposes of said clause, the following qualifications and conditions, namely:—

Qualifications.—A driver of a tourist vehicle shall possess the following qualifications, namely:—

- a driver's licence with at least two years' experience;
- elementary knowledge of the mechanism and maintenance of the tourist vehicle he drives;

(c) knowledge of the topography of the route or area or region in which the tourist vehicle is proposed to be used ;

(d) working knowledge of English and Hindi or any language of the region where he works

NOTE.—Qualification (d) shall not apply in cases where the driver is accompanied by a conductor who has the said qualification.

Conditions.—A driver of a tourist vehicle shall satisfy the following conditions, namely :—

(a) in summer months he shall wear a white uniform of the following descriptions, namely :—

(i) loose trousers ;

(ii) bush shirt or coat with two pockets and letter 'T' sewn on the left hand pocket of the shirt or coat in red thread ;

in winter month he shall wear a blue or grey uniform of the following descriptions, namely :—

(i) loose trousers ;

(ii) buttoned up coat with two pockets and the letter 'T' sewn on the left hand pocket in red thread or open coat with two pockets and the letter 'T' sewn in left hand pocket in red thread, white full sleeved shirt and blue tie.

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[File No. RT-11014/1/89-TAG]

का.आ. 416(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 58 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के जन भूतल परिवहन मंत्रालय की तारीख 25 सितम्बर, 1982 की अधिसूचना संख्या का.आ. 690(ड) को अधिकांत करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि मोटर वाहनों के सिवाय सभी प्रकार की बनावट और माडल के पहन यानों के संबंध में मोटर यानों का निरापद अधिकतम सहित वजन और ऐसे यानों की प्रत्येक धुरी का निरापद वजन निम्नलिखित होगा, अर्थात् :—

(1) ऐसे परिवहन यान की हर बनावट और माडल के संबंध में निरापद अधिकतम लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी का निरापद अधिकतम धुरी वजन निर्माता द्वारा नियत किए गए निरापद अधिकतम लदान सहित वजन और प्रत्येक धुरी के अधिकतम धुरी वजन के रेटिंग के अनुसार होगा।

(2) पैरा (1) में अवधारित निरापद अधिकतम धुरी वजन अनुसूची में दिए गए निरापद अधिकतम धुरी वजन तक ही सीमित होगा।

(i) सभी ऐसे परिवहन यानों की वास्तव निरापद अधिकतम वजन समस्त निरापद अधिकतम धुरी वजन

(iii) स्थापित नहीं होगा।

सेना की युनिट, अनुसूची

1547GI/89

न निम्नलिखित होगा :—

दल

रहिया)

3.0

दो टायर वाली एकल धुरी 6.0

4 टायर वाली एकल धुरी 10.2

8 टायर वाली टेन्डम धुरी 19.0

2. यह अधिसूचना जुलाई, 1989 के पहले दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आर.टी. 11014/3/89-टी.ए.जी.]

S.O. 416(E). In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 58 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Surface Transport No. S.O. 690(E), dated the 25th September, 1982, the Central Government hereby specifies that in relation to the transport vehicles of all makes and models except motor cab, the maximum safe laden weight of motor vehicles and maximum safe axle weight of each axle of such vehicles shall be as follows, namely :—

(1) The maximum safe laden weight and the maximum safe axle weight of each axle in relation to each make and model of such transport vehicle shall be as per the rating of the maximum safe laden weight and the maximum axle weight of each axle fixed by the manufacturer.

(2) The maximum safe axle weight determined in para (1) shall be further restricted to the maximum safe axle weight given in the Schedule.

(3) The maximum safe laden weight in respect of all such transport vehicles shall not be more than the sum total of all the maximum safe axle weights put together.

SCHEDULE

The maximum safe axle weight shall be as follows

Single axle (single wheel) fitted with 1 tyre	
Single axle fitted with 2 tyres	6.
Single axle fitted with 4 tyres	& 10.2
Tandem axle fitted with 8 tyres	19.0

2. This notification shall come into force on the first day of July, 1989.

[F. No. RT-11014/3/89-TAG]

आदेश

का.आ. 417(अ) :—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध दृष्टान्तों वाइ, बूकम्प, प्राकृतिक विपत्तियों या अकल्पित परिस्थितियों द्वारा प्रभावित व्यक्तियों के लिए बाधाएं और अन्य राहत आवृत्ति के वहन के लिए तथा ऐसे व्यक्तियों और उनके सामान के वहन के लिए प्रयुक्त किसी परिवहन यान की लागू नहीं होंगी।

2. यह अधिसूचना जुलाई, 1989 के पहले दिन प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आर.टी. 11014/3/89-टी.]

ORDER

S.O. 417(E).—In exercise of the power conferred by clause (n) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the said section shall not apply to a transport vehicles used for carriage of foodgrains and other relief supplies for the persons affected by accident, flood, earthquake, natural calamities or unforeseen circumstances and carriage of persons and their luggage.

2. This order shall come into force on the first day of July, 1989.

[F. No. RT-11014/3/89-TAG]

का.या. 418(घ).—केन्द्रीय सरकार, मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विनियमित करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के अन्तर्गत विनियमित प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किसी परिवहन यान को लागू नहीं होंगे:—

(क) ऐसे राज्य परिवहन प्राधिकारी को जिसकी अधिकारिता में यान का प्रयोग किया जाता है, सूचित करने हेतु विनियमित हुए परिवहन यान के लिए प्रतिस्थापन यान के रूप में भेजा जाता;

(ख) स्वामी के कारखाने के किसी अन्य स्थान को अन्तर्गत पर, उसके द्वारा कारखाने के ऐसे स्थान को भेजा जाता;

(ग) केन्द्रीय सरकार उपक्रम या किसी राज्य सरकार उपक्रम द्वारा विनियमित माज को अपने कारखाने के कारखानों के संदर्भों के लिए देश के विभिन्न स्थानों पर प्रदर्शित करने के लिए अपने स्वामित्व में के किसी माज वहाँ यान का प्रदर्शनी चैन के रूप में उपयोग किया जाता।

2. यह अधिवृत्तता जुलाई, 1989 के पहले दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आर.टी. 11014/3/89-टी.ए.जी.]

S.O. 418(E).—In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping and Transport No. S.O. 1500, dated the 15th May, 1973, the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the said section shall not apply to a transport vehicle used for the purpose of—

(a) sending as a replacement for a disabled transport vehicle under intimation to the State Transport Authority in whose jurisdiction the vehicle is to be used;

(b) sending to another place of business by the owner on transfer of his business to such place;

(c) using a goods carriage vehicle owned by a Central Government Undertaking or a State Government Undertaking as an exhibition van for demonstration of the goods manufactured by it at different place in the country for promotion of its business activity

2. This notification shall come into force on the first of July, 1989.

[F. No. RT-11014/3/89-TAG]

का.या. 419(घ).—केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 66 की उपधारा (3) के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनियमित करती है कि उक्त धारा की उपधारा (1) के उपबन्ध, किसी ऐसे परिवहन यान को जो एक राज्य में कदम रखा गया है और कोई यात्री या माल नहीं लिए बिना उस राज्य में या किसी अन्य राज्य में किसी स्थान को जा रहा है, इन शर्तों के अन्तर्गत लागू नहीं होंगे कि प्रत्येक ऐसे यान के चाल लिखित हों:—

(क) स्थायी या अस्थायी रजिस्ट्रिकरण प्रमाणपत्र;

(ख) डोक हाजत में होने का प्रमाणपत्र;

(ग) बीमा प्रमाणपत्र या कवर नोट; और

(घ) ऐसे यान के विक्रेता से ऐसा पत्र जिसमें ऐसे व्यक्ति का विज्ञापन उसका विक्रेता किया गया है नाम और पता तथा वह स्थान दिया गया हो जिसको वह जा रहा है।

2. यह अधिवृत्तता जुलाई, 1989 के पहले दिन को प्रवृत्त होगी।

[फा.सं. आर.टी. 11014/3/89-टी.ए.जी.]
की.आर. चव्हाण, संयुक्त सचिव

S.O. 419(E). In exercise of the powers conferred by clause (1) of sub-section (3) of section 66 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988), the Central Government hereby specifies that the provisions of sub-section (1) of the said section shall not apply to any transport vehicle purchased in one State and proceeding to a place situated in that State or in any other State, without carrying any passenger or goods, subject to the conditions that the driver of every such vehicle shall carry—

(a) the certificate of registration, permanent or temporary;

(b) the certificate of fitness;

(c) a certificate of insurance or a cover note; and

(d) a letter from the seller of such vehicle stating the name and address of the person to whom the vehicle has been sold and the place to which it is to be sent.

as the may

2. This notification shall come into force on the first of July, 1989.

of motor vehicles

ing entry in column (2)